If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:— 1. Director Administration, (Headquarters), Directorate General of Health Services —Chairman 2. Deputy Director (General), Directorate General of Health Service —Member 3. Deputy Director (Administration) Directorate General of Health Services —Member 4. Under Secretary, Ministry of Health & Family Welfare —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/01/2013-Admn-II/Estt.-III]

L. CHANDRASEKARAN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 255.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित लिपिकवर्गीय पद भर्ती नियमावली 1977 को, जहां तक कि उनका संबंध प्रशासनिक अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा उससे सलंग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ और लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	01* (2014) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9,300—34,800 रुपये + ग्रेड वेतन 4,600 रुपये	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	वेतन बैंड-2, 9,300--34,400 रुपए + ग्रेड वेतन 4,200 रुपये में ऐसे कार्यालय अधीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापन और लेखा के क्षेत्र में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

	(11)
	प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9,300--34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4,200 रुपये या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पॉंच वर्ष सेवा की हो। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो। (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बेचलर डिग्री। (ii) प्रशासन, स्थापन या लेखा के मामले में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगी जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित विस्तृत तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण --अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली प्रभाग), कृषि और सहकारिता विभाग --सदस्य 3. मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय मृदा भू-उपयोग सर्वेक्षण --सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (परिवीक्षा) के लिए उपरोक्त के अनुसार।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. 16-2/2013-एनआरएम-II]

एस. एन. मीणा, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 26th November, 2014

G.S.R. 255.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Group 'B' Gazetted and Non-Gazetted Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1977, in so far as they relates to the post of Administrative Officer, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Administrative Officer) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, and pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said post, its classification, and the Pay Band and Grade Pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having aspouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the UPSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	1* (2014) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B' Gazetted Ministerial.	Pay Band-2, (Rs. 9300—34800) with Grade Pay Rs. 4600	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by abrorption and percentage of the vancancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By promotion, failing which by deputation	**Promotion:** Office Superintendent in the Pay Band 2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in the field of Administration, Establishment and Accounts. **Note 1:—**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alonwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :—**For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service renderd on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deuptation:** Officers of the Central Government: (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre of department; or (ii) With five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following Educational Qualification and experience:- (i) Bachelors Degree from a recognized University or Institute. (ii) Two years experience in Administration, Establishment and Accounts matters. **Note 1 :—**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration of appointment by promotion. **Note 2 :—**Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. (The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

	(11)
	Note 3 :—For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :- 1. Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Chairman 2. Under Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System Division), Department of Agriculture and Cooperation. —Member 3. Soil Survey Officer, Headquarters Office/ Regional Office, Soil and Land Use Survey of India. —Member **Group "B" Departmental Confirmation Committee (for probation) is the same as above.**	Consultation with UPSC is not necessary.

[F. No.16-2/2013-NRM-II]

S. N. MEENA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.